112

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017

III/निगरानी/सीधी/भू.रा/2017/6279

श्री अजित भार्गव अभि० द्वारा आज दि० 22-12-17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 2-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 22-12-17

Ajit Bhargava 22-12-17
अजित भार्गव (अधि०)

1. श्यामलाल सिंह पुत्र स्व. श्री कमलभान सिंह,
2. रामलाल सिंह पुत्र स्व. श्री कमलभान सिंह,
3. धनजंय सिंह पुत्र स्व. श्री कमलभान सिंह,
4. विजय कुमार पुत्र स्व. श्री आशुतोष सिंह,
5. अरुण कुमार सिंह पुत्र आशुतोष सिंह, समस्त निवासीगणी– ग्राम पडैनिया खुर्द, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (म.प्र.)

––आवेदकगण

विरुद्ध

1. जगन्नाथ सिंह पुत्र कलिंजर सिंह,
2. लालबहादुर सिंह पुत्र तीर्थराज सिंह,
3. संतोष सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह,
4. श्रीमती तारादेवी पत्नी स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह, समस्त निवासीगणी– ग्राम पडैनिया खुर्द, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (म.प्र.)

––अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 924/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2017 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, आवेदकगणो एवं अनावेदकगणो के पूर्वजों के संयुक्त खाते की भूमियां ग्राम पडैनिया खुर्द, पडैनिया पवाई, मधुरी खुर्द एवं मधुरी पवाई एवं जमोड़ी खुर्द में स्थित थी। इन भूमियों का संयुक्त खातेदारों के मध्य आपसी मौखिक विभाजन हो गया था जिसकी

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/सीधी/भू.रा/2017/6279

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
17–1–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 924/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 07.12.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत क़ी गई है। 2–आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा अनावेदकगण को सूचना दिये ही बंटनवारा पुल्ली हिस्से के अनुसार तैयार की जाकर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी। आराजी नम्बर 77, 78 सह खते की भूमि नहीं थी फिर भी विभाजन कर दिया गया। आवेदकगण इस खाते में भूमिस्वामी नहीं थे। अपर आयुक्त द्वारा आदेश के पैरा–4 में लेख किया गया है कि नामांतरण बटनवारा का आदेश पारित कर शासन की स्टाम्प डयूटी की हानि पहुंचाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा बटवारा नियामों का पालन नहीं किया गया है। इससे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 22.5.17 से तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास जिला सीधी के आदेश	

की पुष्टि अपर आयुक्त रीवा द्वारा भी गई है। परिणामस्वरूप अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

3–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 924/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 07.12.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य